राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः प. 27(80)ग्राविवि/अनु–5/सग्रावियो/2013–14 जयपुर, दिनांक 04 मार्च, 2014

–:: सग्रावियो/आदेश 2014/1 ::–

"श्री योजना" (SHREE YOJNA) दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना :–

राज्य के सभी छोटे–बड़े ग्रामों में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के उपरान्त भी अधिकांश ग्रामों में कुछ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क, चिकित्सा आदि मूलभूत सुविधाओं की मांग निरन्तर बढ़ रही है। अतः गांवों के समग्र विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से मूलभूत विकास प्राथमिकताऐं निर्धारित करते हुए राज्य में एक नई योजना **"श्री योजना" (SHREE YOJNA)** लागू की जा रही है। इस योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में भरतपुर सम्भाग में दिनांक 01 अप्रेल, 2014 से तथा शेष प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के अनुमोदन से दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 से लागू किया जावेगा।

2. उद्देश्य :–

2.1 योजनाओं में समन्वय :–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के चरणबद्ध विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं में समन्वय, पंचायती राज के अधीन विभागों तथा अन्य कार्यकारी विभागों की योजनाओं व वित्तीय संसाधनों के समन्वय से समग्र ग्राम विकास योजना क्रियान्वित कर, सुदृढ़ आधारभूत ढ़ांचा विकसित करना।

2.2. समग्र ग्राम विकास मास्टर प्लान :–

गांवों में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं एवं भविष्य में गांव के विकास हेतु अपेक्षित सुविधाओं का चिन्हीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है। समग्र विकास योजना में सभी ग्राम पंचायतों को अगले 5 वर्षों में विकसित किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें उपलब्ध सुविधायें, समग्र विकास हेतु आवश्यक सुविधाऐं, भूमि, पेयजल आदि के विस्तार एवं अन्य आवश्यक सूचनाऐं सम्मिलित की जावेंगी। पंचायती राज प्रकोष्ठ के अन्तर्गत बनाये जा रहे मास्टर प्लान की प्रक्रिया एवं वित्तीय संसाधन इस समग्र विकास योजना हेतु उपयोग किये जा सकेंगे।

2.3 कन्वर्जेन्स/डोवटेल से योजना समन्वय :–

ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढाँचा विकसित करने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाऐं, पंचायती राज के अधीन 5 विभाग एवं राज्य के अन्य विभागों की योजनाऐं पृथक–पृथक संचालित हैं। इन सब विभागीय योजनाओं का आवश्यकतानुसार कन्वर्जेन्स कर क्रियान्वयन करने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास सम्भव हो सकेगा। महात्मा गांधी नरेगा में बजट का निर्धारण राज्य के पंजीकृत परिवारों को 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये जाने के अनुसार निर्धारित होता है। महात्मा गांधी नरेगा

की अनुमत गतिविधियों को अन्य विभागों द्वारा संचालित समान प्रवृति की गतिविधियों के साथ कन्वर्जेन्स का प्रावधान है। विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर योजना क्रियान्विति से महात्मा गांधी नरेगा में पंजीकृत परिवार को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगें, साथ ही श्रम सामग्री अनुपात 60:40 नियंत्रित करने के लिये अन्य योजनाओं के वित्तीय संसाधन सामग्री के रूप में उपयोग करने से स्थायी परिसम्पति सृजन तथा सुदृढ़ ग्रामीण आधारभूत ढ़ाँचा विकसित हो सकेगा। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के अनुमत कार्यों को आवश्यक रूप से अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्ज किया जावेगा।

3. कन्वर्जेन्स प्रक्रिया :–

महात्मा गांधी नरेगा में विभिन्न विभागों एवं गतिविधियों से कन्वर्जेन्स के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन प्रभावी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा अन्य विभागों के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कन्वर्जेन्स/डावटेल कर कार्य स्वीकृति के सम्बन्ध में विभाग स्तर पर 14 सितम्बर, 2011 के दिशा–निर्देश प्रभावी रहेंगे। स्थाई परिसम्पति सृजन हेतु पक्के कार्य कराने के लिये सामग्री राशि की अधिक आवश्यकता को अन्य योजना मद से शामिल कर कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।

4. कार्यक्षेत्र :–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सुनियोजित विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु समग्र ग्राम विकास योजना सभी 9177 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। इस हेतु ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर चरणबद्ध योजना क्रियान्वित किया जाना उचित होगा। प्रथम चरण में भरतपुर सम्भाग के 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतें एवं ऐसी पंचायतें जो पंचायत समिति मुख्यालय पर हैं, को विकसित करने हेतु ग्राम विकास योजना में शामिल किया जावेगा। इसी अनुरूप राज्य की सभी 9177 ग्राम पंचायतों को क्रमिक रूप से विकसित किया जाना है एवं यह कार्य समस्त ग्रामों में अगले पांच वर्षों में पूर्ण कर लिया जावेगा।

5. मूलभूत आवश्यकताऐं :–

समग्र ग्राम विकास हेतु निम्न 5 (S.H.R.E.E.) मूलभूत आवश्यकताऐं हैं, जिनकी प्राथमिकताएं निर्धारित कर चरणबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता होगीः–

5.1 S- Sanitation- ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धनः–

गांव के सभी गली–मोहल्लों की नियमित सफाई की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों, पेयजल स्त्रोतों, आम रास्तों में नियमित सफाई की व्यवस्था, गांव की नालियों की नियमित सफाई की व्यवस्था के साथ–साथ तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं)

गांव को निर्मल ग्राम के रूप में स्थापित करने हेतु सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, खुले में शौच पर प्रतिबन्ध, आवश्कतानुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण एवं उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था। शाला भवन, आंगनबाडी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक भवनों में शौचालय आदि की व्यवस्था।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं/सम्बन्धित विभाग)

5.2 H- Health- **स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता :–**

ग्रामीण जनता की आवश्यकता अनुसार स्वच्छ पेयजल की वर्षपर्यन्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये हैण्डपम्प, कुएं, बावड़ी, पेयजल टंकी, प्रत्येक घर में पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता। गर्मी के मौसम में टैंकर द्वारा पेयजल की आपूर्ति। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल का अभाव अथवा दूषित पानी की अधिकता है, ऐसे गांवों में फिल्टरेशन प्लांट, आर.ओ. आदि की उपलब्धता। इसी के साथ–साथ स्थापित संसाधनों के अनवरत रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

5.3 R- Rural Connectivity-**गांव की आन्तरिक सड़कें मय नाली निर्माण एवं अप्रोच रोड़:–**

गांवों के अन्दर सार्वजनिक स्थानों की आन्तरिक सड़कें, चिकित्सा केन्द्र व अध्ययन अध्यापन हेतु विद्यालय की तरफ जाने वाली आन्तरिक सड़कें, गली–मोहल्लों की सम्पूर्ण आन्तरिक सड़कें मय नाली का निर्माण, जिससे सुगम आवागमन की सुविधा हो सके। आन्तरिक सड़कों के किनारे सम्पूर्ण ग्राम में दूषित जल निकासी की समूचित व्यवस्था, नाली निर्माण आदि कार्य। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नालियों के पानी के निकास स्थान पर ही गन्दे पानी के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं)

गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये अप्रोच रोड़ का निर्माण कराया जाना है ताकि मुख्य सड़क से सुगम आवागमन गांव में स्थापित हो सके।

(उत्तरदायित्व – सार्वजनिक निर्माण विभाग)

5.4 E- Education- **शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाऐं :–**

शिक्षा की सुविधाओं की आवश्यकता अनुसार एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शालाओं में कक्षा कक्ष, खेल मैदान, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्थाऐं। उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर के शिक्षा केन्द्रों में प्रयोग शाला आदि की व्यवस्थाऐं। आंगन बाडी केन्द्रों का निर्माण एवं उनमें अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं/सम्बन्धित विभाग)

चिकित्सा सुविधाओं में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा, जिसमें भवन निर्माण, अस्पताल तक पहुँचने के सुविधाजनक रास्ते निर्माण के साथ–साथ स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाईयां एवं प्राथमिक उपचार तथा एम्बुलेंस आदि के संसाधनों की उपलब्धता।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

5.5 E- Energy- **ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था :–**

गांव के प्रत्येक विद्युत कनेक्शन चाहने वाले इच्छुक परिवार को विद्युत वितरण निगम के तंत्र से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेगा। ढ़ाणियों में निवास करने वाले परिवारों के घरों में रोशनी की व्यवस्था अन्य उपयुक्त वैकल्पिक प्रकाश के साधनों द्वारा की जावेगी। गांव में स्ट्रीट लाईट से रोशनी की व्यवस्था हेतु पंचायती राज संस्थाओं को विद्युत वितरण निगम के तंत्र से बिजली चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी, जिसका व्यय भार पंचायती

राज संस्थाओं का होगा। विद्युत वितरण निगम के तंत्र के ग्रिड उपलब्ध नहीं होने अथवा विद्युत वितरण निगम की बिजली का व्यय भार वहन नहीं कर पाने की स्थिति में सोलर स्ट्रीट लाईट सिस्टम की व्यवस्था ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम व अन्य उपयुक्त माध्यम से कराया जा सकेगा।

(उत्तरदायित्व–विद्युत वितरण निगम/पंचायती राज/अन्य ऊर्जा स्त्रोत हेतु कार्यरत संस्थाऐं)

6. अन्य आधारभूत सुविधाऐं :–

इन मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाऐं भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा।

6.1 आर्थिक आधारभूत सुविधाऐं :–

गांव में सार्वजनिक परिवहन सुविधा, कृषि आदान एवं ऋण सुविधाऐं, ब्रॉडबैण्ड इन्टरनेट सुविधा, दूरभाष सुविधाऐं, ई–कियोस्क, ई–चौपाल, वर्षा जल संचय, जल ग्रहण विकास, चरागाह विकास, स्थानीय उपज पर आधारित लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं हैण्डीक्राफ्ट को प्रोत्साहन, कृषि उपज आधारित व्यापार को प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह, विशेष रूप से महिला समूह के माध्यम से आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं/सम्बन्धित विभाग)

6.2 सामाजिक आधारभूत सुविधाऐं:–

प्राथमिक शाला/माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, चौपाल, खेल के मैदान, उचित मूल्य की दुकान, ए.एन.एम./प्रशिक्षित दाई, कृत्रिम गर्भाधान व पशु स्वास्थ्य हेतु गोपाल, गांव में उद्यान, पोषण सुधार हेतु घरेलू सब्जी उत्पादन, पुस्तकालय, छत के पानी हेतु घरेलू टांका, बी.पी.एल के सभी परिवारों को आर्थिक सहायता, राजकीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण, परिवार के एक सदस्य को 100 दिवस का रोजगार एवं उनके लिये खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देख–भाल व शिक्षा, ग्राम की विरासत एवं संस्कृति की रक्षा को बनाये रखने के लिये धार्मिक स्थलों पर्वो, त्यौहारों एवं स्थानीय मेलों एवं स्थानीय खेलों को संरक्षित रखना, हड्डारोडी का निश्चित स्थान पर विकास।

(उत्तरदायित्व – पंचायती राज संस्थाऐं/सम्बन्धित विभाग)

7. योजना क्रियान्वयन :–

समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा को साकार करने हेतु 'श्री' योजना में विकास प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई हैं जिनसे चरणबद्ध योजना क्रियान्विति सुनिश्चित होगी। आधारभूत सुविधा सृजन, आर्थिक व सामाजिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार, क्रियान्विति की जानी है :–

i. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का समन्वय कर ग्राम की चिन्हित गतिविधियों का प्राथमिकता से सृजन।

ii. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अधीन विभागों जिसमें कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण आधारभूत ढ़ांचा विकसित करना।

iii. आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय कर क्रियान्वयन। इन विभागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्व, पशु पालन, परिवहन आदि की योजनाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर समग्र ग्रामीण विकास के प्रयास।

8. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाऐं :–

8.1 ग्रामीण विकास की योजनाऐं:–

1. मेवात 2. डांग 3. मगरा 4. बीएडीपी 5. एमएलए लेड 6. एमपीलेड 7. ग्रामीण आवासीय योजना 8. स्वविवेक 9. ग्रामीण जन भागीदारी 10. महात्मा गांधी नरेगा 11. बायोगेस 12. पूरा (PURA) 13. आर.आर.एल.पी. 14. एन.आर.एल.पी. 15. एमपावर।

8.2 पंचायती राज की योजनाऐं :–

1. बीआरजीएफ 2. तेरहवां वित्त आयोग 3. राज्य वित्त आयोग 4. निर्बन्ध योजना 5. कम्पन्नसेशन एण्ड असाईमेन्ट ऑफ टेक्सेस 6. निर्मल भारत अभियान 7. समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम 8. मिड डे मील 9. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान।

9. विभागीय समन्वय समिति :–

ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समन्वय कर चरणबद्ध समग्र ग्राम विकास किया जाना है। गांवों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का समन्वय सुनिश्चित किया जाना है। राज्य स्तर पर इन योजनाओं के समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु **शासन सचिव, ग्रामीण विकास** के निर्देशन में समन्वय समिति गठित होगी जिसमें निम्न अधिकारी शामिल होंगे:–

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास – **अध्यक्ष।**
2. निदेशक, जग्रवि. एवं भू.सं.वि.।
3. वित्तीय सलाहकार, पंरावि/ग्रावि।
4. शासन उप सचिव, आयोजना।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (ईजीएस)।
6. अधीक्षण अभियंता, पी/एस, पं.रा।
7. अधीक्षण अभियंता, (ईजीएस)।
8. अधीक्षण अभियंता, अभि. ग्रा.वि।
9. निदेशक सीसीडीयू।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ग्रा.वि. एवं पंरावि. – **सदस्य सचिव।**

9.1 समिति के उत्तरदायित्व–

विभाग की समस्त योजनाओं के उपलब्ध संसाधनों एवं योजना में अनुमत कराये जाने वाले कार्यों के अनुसार समग्र ग्राम विकास हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना, योजनाओं की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा तथा समग्र विकास योजना क्रियान्वयन से आधारभूत ढांचा विकसित होने की गति एवं आवश्यकता का आंकलन आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन।

10. योजना क्रियान्वयन समिति :–

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों एवं अन्य कार्यकारी विभागों की योजनाओं एवं उपलब्ध संसाधनों को समन्वय कर समग्र ग्राम विकास योजना के साथ क्रियान्विति हेतु योजना क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगीः–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज – **अध्यक्ष।**
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
3. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास।
4. प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
7. निदेशक राज्य आजीविका मिशन।
8. आयुक्त, ईजीएस।
9. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. आयुक्त, कृषि।
11. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
12. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग।
13. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग।
14. निदेशक, मिड डे मील।
15. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज – **सदस्य सचिव।**

10.1 समिति के उत्तरदायित्व :–

पंचायती राज के अधीन 5 विभाग एवं अन्य विभागों की योजनाओं, उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा अनुमत कार्यों को समग्र ग्राम विकास हेतु चरणबद्ध क्रियान्विति करने के साथ–साथ आगामी 5 वर्षों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाऐं सृजित करने एवं आवश्यक आधारभूत ढाँचा विकसित करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकताओं का आंकलन आदि उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

11. राज्य स्तरीय समन्वय समिति :–

प्रदेश के ग्रामीण परिवेश को समग्र रूप से विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं को विकसित करने के साथ–साथ सर्वांगींण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी अनिवार्य होगी। इस हेतु विभिन्न

विभागों की योजनाओं का समन्वय कर, समग्र ग्राम विकास योजना क्रियान्विति हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है। जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार – **अध्यक्ष।**
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, वन ।
5. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा।
7. प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा।
8. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास ।
9. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
10. प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
11. शासन सचिव, ऊर्जा ।
12. शासन सचिव जल संसाधन ।
13. शासन सचिव ग्रामीण विकास।
14. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज – **सदस्य सचिव।**

11.1 समिति के उत्तरदायित्व :–

यह समिति विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाऐं एवं उनके उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना सुनिश्चित करेगी कि सम्पूर्ण ग्राम का आधारभूत ढ़ांचा विकसित हो सके। **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस प्रयोजन हेतु नोडल विभाग होगा।**

12. क्रियान्वयन प्रक्रिया :–

12.1 जिला स्तर :–

i. **योजना समन्वय समिति**– समग्र ग्राम विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर योजना समन्वय समिति निम्नानुसार होगी :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – अध्यक्ष
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. उप/सहायक निदेशक, कृषि/उद्यान
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक।
6. सहायक निदेशक, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग
7. जिला आयोजना अधिकारी
8. अधीक्षण अभियंता, जिला परिषद
9. परियोजना अधिकारी, लेखा/लेखाधिकारी, जि.प.
10. अधिशाषी अभियंता (ईजीएस)
11. अधिशाषी अभियंता (जल संसाधन)
12. **अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) – सदस्य सचिव**

यह समिति जिला स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं के उपलब्ध संसाधनों एवं योजना में अनुमत कार्यों के अनुसार समग्र ग्राम विकास हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने, योजनाओं की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने, प्रगति की समीक्षा तथा समग्र विकास योजना क्रियान्वयन से आधारभूत ढांचा विकसित होने की गति एवं आवश्यकता का आंकलन आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी तथा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के अधीन 5 विभिन्न विभागों कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने के समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

ii. **जिला स्तरीय समन्वय समिति** – समग्र विकास के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के समन्वय हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति निम्नानुसार होगी :–

1. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर
3. उपवन सरंक्षक
4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
7. अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम
8. उप निदेशक, पशुपालन विभाग
9. जिला परिवहन अधिकारी
10. उप निदेशक, उद्योग/जिला प्रबन्धक उद्योग
11. जिला नगर नियोजक
12. परियोजना अधिकारी (लेखा) जि.प.
13. कोषाधिकारी
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य सचिव

इन विभागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, राजस्व, पशु पालन, परिवहन आदि की योजनाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर समग्र ग्रामीण विकास के प्रयास।

12.2 खण्ड स्तर :–

ब्लॉक समन्वय समिति –समग्र ग्राम विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खण्ड स्तर पर ब्लॉक समन्वय समिति निम्न अनुसार होगी :–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति – अध्यक्ष
2. खण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी
4. कृषि विस्तार अधिकारी
5. सहायक अभियंता सा.नि.वि

6. सहायक अभियंता जं.स्वा.अभिं.वि
7. सहायक अभियंता जल संसाधन.वि
8. सहायक वन सरंक्षण वि
9. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक
10. सहायक अभियंता (जग्रवि. एवं भूसं.)
11. सहायक अभियंता (ईजीएस)
12. लेखाकार, पंचायत समिति
13. सहायक अभियंता, पंचायत समिति – सदस्य सचिव

यह समिति खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं के उपलब्ध संसाधनों एवं योजनाओं के अनुमत कार्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन 5 विभागों की योजनाओं व उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समग्र ग्राम विकास हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने, योजनाओं की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने, प्रगति की समीक्षा तथा समग्र विकास योजना क्रियान्वयन से आधारभूत ढांचा विकसित करने की गति एवं आवश्यकता का आंकलन आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

13. क्रियान्वयन प्रक्रियाः–

13.1 समग्र ग्राम विकास का क्रियान्वयन :--

विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधन एवं संचालित गतिविधियों में समन्वय कर समग्र विकास कार्य योजना निर्धारण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रभारी नियुक्त किया जावेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अभियंता नियुक्त होंगे, जो ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं तथा समग्र विकास हेतु आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करेंगे। आवश्यकताओं के सृजन हेतु विभाग की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप स्वीकृति आदि की कार्यवाही करेंगे। उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त आवश्यकताओं का आंकलन खण्ड/जिला/राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित होगा, जिससे राशि की उपलब्धता एवं अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन हेतु प्रयास किये जा सकेगे। समग्र विकास कार्य सूची एवं मास्टर प्लान तैयार करने के पश्चात् समग्र विकास योजना का निर्धारण/अनुमोदन ग्रामसभाओं के माध्यम से कराया जावेगा।

(उत्तरदायित्व – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

13.2 कार्य योजना निर्धारण :–

13.2.1 – ग्रामीण क्षेत्र के चरणबद्ध समग्र विकास हेतु प्रत्येक पंचायत का 1 प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावेगा, जो वर्तमान में उपलब्ध सुविधाऐं एवं समुचित विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं को सूचीबद्ध करेगे तथा विभिन्न योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों व उनमे उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कराये जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करेंगे।

13.2.2 – ग्राम के समग्र विकास हेतु कार्य योजना बनाई जावेगी। इस कार्य योजना के निर्धारण हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाऐं क्रियान्वित करने वाले अभियंता के साथ–साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये एक

क्रियान्वयन दल गठित होगा, जो ग्राम/ग्राम पंचायत की आवश्यकता अनुसार कार्यों का चिन्हीकरण करेगा एवं जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा अतिरिक्त संसाधनों का आकलन तैयार कर कार्ययोजना बनायेगा। इस कार्य योजना को वर्षवार क्रियान्वित करने की रूपरेखा तैयार कर ग्रामसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

13.2.3 – विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधन एवं संचालित गतिविधियों में समन्वय कर समग्र विकास कार्य योजना निर्धारण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रभारी नियुक्त किया जावेगा। समग्र विकास कार्य सूची एवं सुनियोजित कार्य योजना तैयार करने के पश्चात् समग्र विकास योजना का निर्धारण/अनुमोदन ग्रामसभाओं के माध्यम से कराया जावेगा । ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पंचायत समिति साधारण सभा में विचारार्थ प्रस्तुत होगी। पंचायत समिति स्तर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को शामिल करते हुए जिला परिषद की साधारण सभा के विचारार्थ प्रेषित किया जावेगा। जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं एवं विभागों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को शामिल करते हुए समग्र विकास की कार्य योजना अनुमोदित होगी। इसी अनुमोदित कार्य योजना से कार्यों की स्वीकृति जारी की जावेगी।

13.2.4 समग्र विकास ग्राम हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें वर्तमान उपलब्ध सुविधाऐं, भविष्य की आवश्यकताऐं अंकित होगी। इसके साथ–साथ ग्राम के विस्तार हेतु भूमि विस्तार एवं अन्य आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाते हुये ग्राम का मास्टर प्लान (मानचित्र) तैयार किया जावेगा।

14. कार्य योजना स्वीकृति :–

14.1 – अनुमोदित कार्य योजना की प्राथमिकता क्रम में स्वीकृतियां जारी की जावेगीं, स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर सक्षम स्वीकृतियां जारी की जा सकेगी। पंचायती राज के अधीन विभागों की स्वीकृतियां जिला स्तर से जारी होगी। अन्य कार्यकारी विभागों की स्वीकृतियां सक्षम स्तर से जारी कर क्रियान्वित कराने का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला कलेक्टर का होगा।

14.2 – स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/कार्यकारी विभाग द्वारा किया जावेगा, जिसमें तकनीकी मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन आदि कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता पंचायत समिति तथा अन्य कार्यकारी विभागों की योजनाओं में सम्बन्धित विभाग के अभियंता उत्तरदायी होंगे।

14.3 – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया ग्रामीण कार्य निर्देशिका के निर्धारित प्रारूप अनुसार होगी। अन्य कार्यकारी विभागों के कार्यों की स्वीकृति आदि की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग की प्रचलित प्रक्रिया अनुरूप होगी।

14.4 – समग्र विकास हेतु निर्धारित की गई कार्ययोजना को विभागीय वैबसाईट पर महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर ऑन लाईन अपलोड किया जावेगा तथा IWMS Software से कार्य स्वीकृति एवं योजना की समीक्षा की जावेगी।

14.5 – पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करने एवं श्रम, सामग्री लागत निर्धारण सम्बन्धित समस्त कार्य ऑनलाईन बीएसआर सॉफ्टवेयर द्वारा किये जायेंगे।

14.6 – प्रत्येक चिन्हित कार्य जो पूर्व से निर्मित है एवं भविष्य में निर्मित कराने जाने हैं आदि के coordinates का विवरण संधारित होगा जिससे कार्यो की पुनरावृति नहीं हो। GPRS/GPS तकनीक का उपयोग भी किया जावेगा।

15. योजना की मोनीटरिंग :–

15.1 – पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी, सहायक अभियंता ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों की नियमित समीक्षा करेगें ।

15.2 – जिला स्तर पर पंचायत समितियों की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी। जिला स्तरीय समन्वय समिति, योजना क्रियान्वयन, सम्पादित कार्यों की प्रगति ग्राम विकास हेतु विकसित की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा करेगी तथा प्रगति से विभागीय समन्वय समिति को अवगत करायेगी।

15.3 – विभागीय समन्वय समिति योजना क्रियान्वयन की जिलेवार समीक्षा कर, प्रगति का विवेचन करेगी तथा अन्तर्विभागीय समन्वय समिति व राज्य स्तरीय समन्वय समिति को मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

15.4 – समग्र ग्राम विकास योजना में कार्ययोजना निर्धारण स्वीकृत कार्य सृजित परिसम्पतियां उपलब्ध वित्तीय संसाधन, व्यय राशि आदि समस्त कार्यों की प्रगति हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जावेगा जिसमें ऑन लाईन स्वीकृति व प्रगति की ग्राम स्तर तक समीक्षा करने का प्रावधान समाहित होगा। समस्त मॉनिटरिंग इसी सॉफ्टवेयर से की जावेगी।

16. अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धता :–

विभागीय समन्वय समिति, क्रियान्वयन समिति एवं राज्य स्तरीय समन्वय समिति राज्य के ग्रामीण परिवेश को समग्र रूप से विकसित करने एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा आर्थिक व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं का आंकलन करेगी तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने एवं वित्तीय प्रावधान आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी। जिससे राज्य सरकार के संकल्प पत्र–2013 के मंशा अनुसार चरणबद्ध विकास किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव
4/3/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, माननीया मुख्यमन्त्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मन्त्री, ग्रा.वि. एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
19. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
21. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
23. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
24. स्टेट मिशन डायेक्टर एलपी एण्ड एसएचजी।
25. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
26. आयुक्त, मिड डे मील।
27. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
28. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान।
29. परियोजना निदेशक (ईजीएस/एसएपी/एलपी एण्ड एसएचजी/मो. एवं मू.) ग्रावि।
30. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/प्रोजेक्ट/अभि./सेनिटेशन), ग्रावि एवं पंरावि।
31. निदेशक (सीसीडीयू) पंरावि।
32. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
33. वित्तीय सलाहकार, पंरावि/ग्रावि, राज. जयपुर।
34. समस्त जिला प्रभारी, मुख्यालय, ग्राविवि, जयपुर।
35. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
36. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
37. अधिशाषी अभियन्ता (आवास)/परि. अधि. (अभि.), ग्राविवि, राज. जयपुर।

04/03/14

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)